संख्या-06/2019/4418/71-1-2018-जी-202/2016

प्रेषक,

मुकेश कुमार मेश्राम,
सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनाँक 11 जनवरी, 2019

विषय:- वित्तीय वर्ष 2018-19 में राजकीय मेडिकल कालेज, झाँसी, मेरठ तथा आजमगढ़ में स्थापित उपकरणों के अनुरक्षण हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-एम0ई0/पर्चेज/2018/620, दिनॉक 31-10-2018, पत्र संख्या-एम0ई0/पर्चेज/2018/551, दिनॉक 24-10-2018 तथा पत्र संख्या-एम0ई0/पर्चेज/2018/570, दिनॉक 25-09-2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय मेडिकल कालेजों में स्थापित उपकरणों के अनुरक्षण हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत निम्नांकित विवरणानुसार मेडिकल कालेजों हेतु "अनुरक्षण" मद में प्राविधानित धनराशि रू0 24,00,00,000.00 के सापेक्ष धनराशि रू0 2,43,02,459.00 (रू0 दो करोड़ तिरालीस लाख दो हजार चार सौ उनसठ मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति राज्यपाल महोदय सहर्ष् प्रदान करते है-

क्र0	मेडिकल कालेज का नाम	**धनराशि, जिसकी वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की जा रही है।**
1	मेडिकल कालेज, झाँसी	69,27,496.00
2	मेडिकल कालेज, मेरठ	1,00,00,000.00
3	मेडिकल कालेज, आजमगढ़	73,74,963.00
	योग-	2,43,02,459.00

2- स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

3- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग सुसंगत वित्तीय नियमों, स्टोर परचेज रूल्स एवं समय-समय पर जारी किये गये शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा तथा धनराशि के सद्व्यय हेतु संबंधित प्रधानाचार्य/निदेशक पूर्णरूपेण उत्तरदायी होंगे।

4- स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण कोषागार से वास्तविक आवश्यकतानुसार तभी किया जायेगा, जबकि उपकरणों के क्रय की सम्पूर्ण प्रक्रिया पूर्ण हो जाए। स्वीकृत की जा रही धनराशि पी0एल0ए0 अथवा बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी।

5- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-"2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-05-चिकित्सा शिक्षा-प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.nic.in

03-शिक्षा-0376-राजकीय मेडिकल कालेजों में चिकित्सीय सेवाओं का संचालन-29-अनुरक्षण" के नामे डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनॉक 30 मार्च, 2018 में प्रतिनिहित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे है।

भवदीय

(मुकेश कुमार मेश्राम)
सचिव

संख्या:-06/2019/4488(1)/71-1-2018 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।

2- वित्त नियंत्रक, महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।

3- प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, झॉसी, मेरठ तथा आजमगढ़।

4- वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, झॉसी, मेरठ तथा आजमगढ़।

5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, झॉसी, मेरठ तथा आजमगढ़।

6- नियोजन अनुभाग-4

7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3

8- संबंधित समीक्षाधिकारी/गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(अनिल कुमार)
उप सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।